FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप

भगवानाराम बनाम इलायची व अन्य

किस्म मुकदमा 111, 128 Rev. act नं. 266/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.18	प्रार्थी/~~वादी/अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/~~दावा~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.01.2019 को पेश हो।	
30/01/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/03/19 को पेश हो।	
06/03/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 06/05/19 को पेश हों।	
06/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/05/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 15:03:07 IST
Reason: SelfAttested

29/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] पत्रावली [illegible] हिसाब कार्य की व्यस्तता होने से मिसल दिनांक [illegible] पेश करवाने दिनांक 25/09/19 को पेश हो।

25/09/19

15/10/19

15/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढ़ा सेढ़ विपक्षीगणों के खातेदारी खेत आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के सेढ़ों पर जो पुरानी मेढ़ व डोल थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तथा सेढ़ों पर कोई किसी प्रकार की कच्ची पक्की मेढ़ या चिन्ह आदि नहीं बने हुए हैं। विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेढ़ा तोड़ देते हैं एवम् बरसात होने पर काश्त कर लेते हैं। जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी इस कारण अपने खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नेपामबन्दी करवाना चाहते हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपामबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कोई भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नेपामबन्दी [illegible] जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली [illegible] आदेश मिसल के लिखा जाकर शामिल मिसल [illegible] शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज हो, दाखिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 15:03:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 670

दिनांकः– 15-10-19

राजस्व आवेदन संख्या – 266 / 18

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
श्री बगताराम पुत्र किशनाराम जाति–जाट, निवासी–खोखर पूर्व, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर		श्री मूलाराम पुत्र खींयाराम वगैरा 3 जातियान्–निवासीयान्–खोखर पूर्व, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खोखर पूर्व पटवार हल्का खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1820 / 1358 रकबा 10.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–15-10-19

क्रमांक / वाद / 2019 / 671-75
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, खोखर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बगताराम पुत्र किशनाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री मूलाराम पुत्र खींयाराम वगैरा 3।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

sd/-

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 15:03:07 IST
Reason: SelfAttested